अनुसूची 14–फारम सं०–562।

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक–1941 का नियम 129)

आदेश–पत्रक – ....ता०...............................से.......................................तक

जिला– लखीसराय संख्या – 62 / 2015–16 सन् ....

केश का प्रकार – समपहरण वाद राज्य बनाम राजेश्वर राय एवं अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
27.01.2016	पुलिस अधीक्षक, लखीसराय का पत्रांक–3899 / सी0आर0, दिनांक–19.12.2015 द्वारा हलसी(रामगढ़ चौक) थाना कांड सं0–165 / 15 दिनांक–21.11.2015 के अंतर्गत जप्त खाद्यान्न को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–6A के तहत समपहरण करने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। पुलिस अधीक्षक, लखीसराय के ज्ञापांक–3828 / सी0आर0, दिनांक–13.12.2015 में उल्लेख है कि दिनांक–21.11.2014 को 16:30 बजे थानाध्यक्ष, रामगढ़ चौक गस्ती करते हुए थाना वापस आ रहे थे। उसी क्रम में बिहटा–नादियांवा पक्की सड़क पर एक (ठेला) जुगाड़ गाड़ी पर सफेद प्लास्टिक के बोरा में कुछ लेकर जाते हुए देखा। संदेह के आधार पर उक्त जुगाड़ गाड़ी को रोकवाकर चालक ने पूछताछ के क्रम में अपना नाम अमीत पासवान, पे0–नारायण पासवान, ग्राम व थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा बताय। जुगाड़ गाड़ी पर लदा सामान के बारे में बताया कि उक्त बोरा में अरवा चावल है जो ग्राम बिहटा के डीलर राजेश्वर राय, पे0–वासुदेव राय के यहां से मन्टु साव, पे0–रघुनन्दन साव, सा0–जयमंगला, थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा के यहां ले जा रहे हैं। जुगाड़ गाड़ी पर कुल 17 प्लास्टिक के बोरा (प्रति बोरा 50 किलो) में अरवा चावल (जन वितरण प्रणाली का) पाया गया, जिसके संबंध में ठेला चालक अमीत पासवान ने कोई वैद्य कागजात नहीं दिखाया। तदोपरांत पकड़ाये चावल जुगाड़ गाड़ी सहित एवं ठेला चालक को थानाध्यक्ष द्वारा लाया गया तथा इसकी सूचना वादी बिजय कुमार सिंह, पे0–स्व0 कृष्णबल्लभ सिंह, ग्राम–मालगोदाम, थाना व जिला–नवादा वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी–सह–आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ चौक को दिया गया। तत्पश्चात वादी के द्वारा यह कांड दर्ज कराया गया। पर्यवेक्षणकर्त्ता के द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि चौकीदार द्वारा बताया गया कि ग्राम बिहटा के राजेश्वर राय डीलर है जो बहुत दिनों से दुकान चला रहे हैं। अक्सर ज0वि0प्र0 की सामान ठेला पर इधर–उधर करते रहते हैं और इस संबंध में पूछने पर बताते हैं कि खराब सामान आ गया था जो वापस लौटा रहे हैं। प्राथमिकी नामजद अभियुक्त अमीत पासवान, पे0–नारायण पासवान, ग्राम व थाना–सिरारी, जिला– शेखपुरा को गिरफ्तार कर दि0–22.11.15 को न्यायिक हिरासत भेजा गया है, जिसका स्वीकारोक्ति बयान थानाध्यक्ष, रामगढ़ चौक के द्वारा लिया गया है। अमीत पासवान ने स्वीकारोक्ति बयान में स्पष्ट रूप से बताया है कि दिनांक–20.11.15 को 12 बजे दिन में इनके घर पर मन्टु साव, पे0–रघुनन्दन साव, ग्राम–जयमंगला, थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा आकर बोला के ग्राम बिहटा के डीलर के यहां गल्ला खरीद किये हैं, उसे लाना है। इस पर ये अपने जुगाड़ गाड़ी से ग्राम बिहटा गये। जहां डीलर राजेश्वर राय अपने घर से 17 बोरा अरवा चावल	

F-D/CCA/ 2014/Lkr.

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	ले जाने के लिए दिए। जिसे ये अपने जुगाड़ गाड़ी पर लादकर सिरारी ले जा रहे थे कि बिहटा एवं नदियांवा गांव के बीच प्रशासन गाड़ी पहुंच गयी और पूछताछ करने लगे, तब ये साफ बता दिये कि मन्टु साव के कहने पर ग्राम बिहटा के डीलर राजेश्वर राय से अरवा चावल लादकर सिरारी ले जा रहे थे। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ग्राम बिहटा के डीलर राजेश्वर राय ने कालाबाजारी में ज0वि0प्र0 का चावल मन्टु साव को बेचा तथा मन्टु साव ने कालाबाजारी के लिए ज0वि0प्र0 के चावल को खरीदा तथा जुगाड़ गाड़ी के चालक को मेल में लिया तथा वह इनलोगो के मेल में आकर अपने जुगाड़ गाड़ी पर उक्त 17 बोरा चावल को ज0वि0प्र0 डीलर राजेश्वर राय के यहां से लादकर मन्टु साव के यहां पहुंचाने ले जा रहा था कि रास्ते में पकड़ा गया। अतः जुगाड़ गाड़ी के चालक अमीत पासवान, पे0–नारायण पासवान, ग्राम व थाना–सिरारी जिला–शेखपुरा/ डीलर राजेश्वर राय, पे0–वासुदेव राय, सा0–बिहटा, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय एवं चावल खरीददार मन्टु साव, पे0–रघुनन्दन साव, ग्राम–जयमंगला, थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत धारा–7 के अन्तर्गत कार्रवाई करने का अनुरोध पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा किया गया है। उपर्युक्त तथ्य जो संलग्न प्राथमिकी के आधार पर जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, लखीसराय की अनुशंसा पर सामने आये हैं, यह स्पष्ट है कि नामजद अभियुक्त जुगाड़ गाड़ी के चालक अमीत पासवान, पे0–नारायण पासवान, ग्राम व थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा/ डीलर राजेश्वर राय, पे0–वासुदेव राय, सा0–बिहटा, थाना–रामगढ़ चौक, जिला–लखीसराय एवं अप्राथमिकी अभियुक्त चावल खरीददार मन्टु साव, पे0–रघुनन्दन साव, ग्राम–जयमंगला, थाना–सिरारी, जिला–शेखपुरा द्वारा The Prevention of Black Marketing Maintainance of Supply Essential Commodity Act. 1980. एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा–7 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध किया जाना प्रमाणित है। चूँकि चावल speedy एवं natural decay की वस्तु है, अतः अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय को EC Act. 1955 amended Bihar Act. 9 of 1978 के 6(A)(2) के तहत आदेश दिया जाता है कि जप्त चावल को नीलाम कर प्राप्त राशि उचित शीर्ष में जमा करते हुए प्रतिवेदन दें। पुनः आदेश दिया जाता है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(B) के तहत अभियुक्त को नोटिश निर्गत करे कि क्यों नहीं जप्त सामग्री अधिनियम 6(A) के तहत समपहरण कर ली जाय। आदेश की प्रति अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखीसराय/पुलिस अधीक्षक, लखीसराय/अनुमंडल पदाधिकारी, लखीसराय तथा थाना प्रभारी, रामगढ़ चौक को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। अभिलेख दिनांक–02.03.2016 को उपस्थापित करें। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
	ज्ञापांक- 89 विधि, दिनांक- 29.01.16 **प्रतिलिपि** :-अनुमंडल न्यायिक दण्डाधिकारी, लखी0 / पुलिस अधीक्षक, लखी0 / अनुमंडल पदाधिकारी, लखी0 तथा थाना प्रभारी, रामगढ़ चौक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। **प्रतिलिपि** :- जिला सूचना विज्ञान पदा0, लखी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला दण्डाधिकारी, लखीसराय।	